भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं.2903**

12.12.2016 को उत्‍तर के लिए

**प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए राज्यों को निधियां दिया जाना**

**2903. श्री पी. एल. पुनिया:**

 क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को अपने-अपने प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए निधियां जारी की हैं और यदि हां, तो विगत दो वर्षों का तथा चालू वर्ष का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) आवंटित की गर्इ निधियों की सहायता से प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार ने उक्त कार्यों की कोर्इ समीक्षा की है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदूषण के नियंत्रण तथा निवारण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एनआरसीपी), राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी), राष्ट्रीय जलीय पारि-प्रणाली संरक्षण योजना (एनपीसीए), प्रदूषण के उपशमन और साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) के लिए सहायता और विश्व बैंक सहायता-प्रदत्‍त क्षमता निर्माण तथा औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन (सीबीआईपीएम) परियोजना, जिसके तहत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, शामिल हैं।  पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है ।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा भी विभिन्‍न परियोजनाओं का कार्यान्‍वयन किया जा रहा है जिनका उद्देश्‍य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण तथा निवारण करना है ।  सीपीसीबी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए एसपीसीबी/पीसीसी को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को वास्‍तविक तथा वित्तीय प्रगति के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं ।  वास्‍तविक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्टों की जांच की जाती है और निधियों की अगली किस्त जारी किए जाने से पूर्व व्‍यय न की गई शेष धनराशि को ध्यान में रखा जाता है ।  निगरानी प्रक्रिया में अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यथा आवश्‍यकता समुचित सुधारात्‍मक कदम उठाने के लिए स्‍कीमों/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा शामिल है।  इसके अतिरिक्‍त, अनुदानग्राही संगठनों के खातों की अनिवार्य लेखा-परीक्षा, लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्रों, व्‍यय विवरणों, अनुदानग्राही संगठनों द्वारा किए गए कार्यकलापों की प्रगति रिपोर्टों की प्रस्‍तुति, और राज्य सरकारों/केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा स्‍थल दौरों सहित योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जाती है । एसपीसीबी/पीसीसी की वास्‍तविक तथा वित्‍तीय क्षमताओं का संवर्द्धन अतिरिक्‍त जन शक्ति, उपकरणों, प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी के माध्‍यम से किया जाता है ।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-** I

**'प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए राज्यों को निधियां दिये जाने' के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री पी. एल. पुनिया द्वारा पूछे गए दिनांक 12.12.2016 को उत्‍तर दिए जाने के लिए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं.2903 के उत्‍तर में उल्लिखित अनुबंध ।**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **स्‍कीम**  | **राज्य** | **जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)** |
| **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** |
| 1. | प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता | चंडीगढ़ | --- | 44.25 | 95.13 |
| 2. | प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता | हिमाचल प्रदेश | 50.00 | --- | --- |
| 3. | प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता | मणिपुर | 38.16 | 47.52 | 39.99 |
| 4. | प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता | मिजोरम | 185.32 | 39.69 | 41.72 |
| 5. | प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता | त्रिपुरा | --- | 19.78 | 48.89 |
| 6. | सीईटीपी | आंध्र प्रदेश | --- | --- | 0.20 |
| 7. | सीईटीपी | गुजरात | 8.40 | 11.06 | --- |
| 8. | सीबीआईपीएम | आंध्र प्रदेश | --- | --- | 5.00 |
| 9. | सीबीआईपीएम | तेलंगाना | --- | --- | 4.00 |
| 10. | सीबीआईपीएम | पश्चिम बंगाल | 0.18 | 9.82 | 4.68 |
| 11. | एनआरसीपी और एनजीआरबीए | केरल | --- | 5.00 | --- |
| 12. | एनआरसीपी और एनजीआरबीए | गुजरात | 44.00 | 24.12 | 61.00 |
| 13. | एनआरसीपी और एनजीआरबीए | महाराष्ट्र | --- | 4.99 | 21.00 |
| 14. | एनआरसीपी और एनजीआरबीए | पंजाब | 28.80 | 17.61 | --- |
| 15. | एनआरसीपी और एनजीआरबीए | हरियाणा | 10.46 | --- | - |
| 16. | एनआरसीपी और एनजीआरबीए | उत्तर प्रदेश | 30.08 | --- | --- |
| 17. | एनआरसीपी और एनजीआरबीए | उत्तराखंड | 3.00 | --- | --- |
| 18. | एनआरसीपी और एनजीआरबीए | सिक्किम | --- | 1.00 | 5.00 |
| 19. | एनआरसीपी और एनजीआरबीए | नागालैंड | --- | 10.00 | --- |
| 20. | एनपीसीए | गुजरात | --- | 1.59 | --- |
| 21. | एनपीसीए | हरियाणा | 0.63 | 0.29 | --- |
| 22. | एनपीसीए | जम्मू और कश्मीर | --- | 15.00 | --- |
| 23. | एनपीसीए | मध्य प्रदेश | 2.50 | 4.90 | 12.00 |
| 24. | एनपीसीए | मणिपुर | 0.60 | 0.47 | --- |
| 25. | एनपीसीए | मिजोरम | 0.79 | 1.08 | 0.59 |
| 26. | एनपीसीए | ओडिशा | --- | --- | 0.40 |
| 27. | एनपीसीए | पुडुचेरी | --- | 0.42 | --- |
| 28. | एनपीसीए | पंजाब | --- | 1.52 | --- |
| 29. | एनपीसीए | राजस्थान | 25.66 | 10.95 | 13.56 |
| 30. | एनपीसीए | सिक्किम | --- | 0.78 | 0.21 |
| 31. | एनपीसीए | तमिलनाडु | 0.31 | --- | --- |
| 32. | एनपीसीए | उत्तर प्रदेश | 5.07 | 1.24 | 13.00 |
| 33. | एनपीसीए | पश्चिम बंगाल | --- | 0.92 | --- |
| 34. | एनपीसीए | नागालैंड | 1.11 | --- | --- |

सीईटीपी: साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्र; सीबीआईपीएम: क्षमता निर्माण और औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन;  एनआरसीपी: राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम;  एनजीआरबीए: राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण;  एनपीसीए: राष्ट्रीय जलीय पारि-प्रणाली संरक्षण योजना।

\*\*\*

**अनुबंध II**

**'प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए राज्यों को निधियां दिये जाने' के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री पी. एल. पुनिया द्वारा पूछे गए दिनांक 12.12.2016 को उत्‍तर दिए जाने के लिए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 2903 के उत्‍तर में उल्लिखित अनुबंध ।।**

**सीपीसीबी द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (एनएएमपी)/राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्‍ल्‍यूएमपी) के तहत राज्यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को जारी किए गए भुगतान का विवरण ।**

**(रुपये में)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17****अक्टूबर 2016 तक** |
| **वायु** | **जल** | **वायु** | **जल** | **वायु** | **जल** |
|  | आंध्र प्रदेश | 7666250 | --- | --- | 2481784 | --- | --- |
|  | असम | 7842500 | --- | --- | 1331010 | --- | --- |
|  | बिहार | --- |  | --- | 1328964 | --- | --- |
|  | छत्तीसगढ़ | --- | --- | 1526250 | 914,385 | --- | --- |
|  | गोवा | 7125000 | --- | 7789333 | 141,540 | --- | --- |
|  | गुजरात | --- | --- | - - | 1513411 | --- | --- |
|  | हरियाणा | --- | --- | --- | 66,028 | --- | --- |
|  | हिमाचल प्रदेश | --- | --- | 10128333 | 4483840 | --- | --- |
|  | कर्नाटक | 354,167 | --- | 6749583 | 925,981 | --- | --- |
|  | केरल | 6474167 | --- | --- | 3899767 | --- | --- |
|  | लक्षद्वीप | --- | --- | --- | 474,825 | --- | --- |
|  | मध्य प्रदेश | --- | --- | - - | 671,822 | 7984417 | --- |
|  | महाराष्ट्र | --- | --- | --- | 2859707 | 16316919 | --- |
|  | मेघालय | --- | --- | 7845833 | 3576450 | --- | --- |
|  | मिजोरम | 1765000 | --- | 5413333 | 602,635 | --- | --- |
|  | नागालैंड | 906,667 | --- | --- | 104,880 | 3658667 | --- |
|  | ओडिशा | 5734583 | --- | --- | 3147859 | --- | --- |
|  | पुडुचेरी | --- | --- | --- | 109,725 | 5110333 | --- |
|  | पंजाब | 7795417 | --- | --- | 764,512 | --- | --- |
|  | राजस्थान | --- | --- | 4218750 | 1195971 | --- | --- |
|  | तमिलनाडु | 2358333 | --- | --- | 1061221 | --- | --- |
|  | त्रिपुरा | --- | --- | --- | 81,595 | --- | --- |
|  | उत्तर प्रदेश | --- | --- | 7263333 | 343,862 | --- | --- |
|  | उत्तराखंड | --- | --- | 4085833 | 264,925 | --- | --- |
|  | पश्चिम बंगाल | --- | --- | --- | 5036455 | --- | --- |

सीपीसीबी ने कुल 35 ध्‍वनि निगरानी केन्‍द्रों की स्‍थापना के लिए निधियां प्रदान की हैं। ये मानिटरिंग केंद्र एसपीसीबी/पीसीसी के साथ 50:50 की लागत साझेदारी अनुपात के आधार पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरू, चेन्नई, लखनऊ और हैदराबाद में से प्रत्‍येक में 05 हैं। इन केंद्रों के लिए सीपीसीबी द्वारा 2.32 करोड़ रूपये की धनराशि का योगदान किया गया है।

\*\*\*